रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/ पौष 14, 1938
No. 08] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 जनवरी, 2017

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2016-17/ 027. —भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय यूनिट 24, ज़ोनल फैसिलिटी सेंटर एनेक्स, ब्लॉक 12 , रोड 1 -डी, ज़ोन -1, गिफ़्ट एसइज़ेड, गिफ्ट सिटी, गाँधीनगर - 382 355, गुजरात में स्थित है, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के लिये आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्द्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 29 दिसंबर 2016 को प्रारंभ होने वाली और 28 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधी (अवधि) के लिए इसमें नीचे कथित शर्त अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जायें के अध्यधीन मान्यता प्रदान करता है :

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा ।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/आसाधारण/364/16]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd January, 2017

No. **SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/027.—**The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by India International Exchange (IFSC) Limited, having its registered office at Unit No. 24, Zonal Facility Centre Annexe, Block No. 12, Road No. 1-D, Zone -1, GIFT SEZ, GIFT City, Gandhinagar – 382355 and being satisfied that it would be in the interest of trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, recognition to the said stock exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 29th day of December, 2016 and ending on the 28th day of December, 2017 subject to the condition stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Exchange shall comply with conditions specified by SEBI from time to time.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./364/16]

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.01.05 19:01:06 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.